सिटी बोर्ड (नगर पालिका) जौनपुर की बैठक दिनांक 26.4.93 दिन सोमवार अपरान्ह 5.00 बजे श्री सीतारामयादव, अध्यक्ष सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम निम्न प्रकार है,

कार्यवाही

श्री सीतारामयादव	अध्यक्ष
1 श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	मान्य सभासद
2 श्रीमती निर्मला सिंह	नामित सदस्या
3 श्री लक्ष्मीनारायनयादव	प्रतिनिधि सांसद
4 " अमरनाथ	नामित सभासद
5 " डा० कृष्णकुमार	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
5 " बाबूलाल गुप्त	मान्य सभासद
6 " मिर्जा जियारत हुसेन	" "
7 " राम अधार यादव	" "
8 " राजेन्द्र प्रताप सिंह	" "
9 " मुख्तार अहमद	" "
10 " रमजान खाँ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
11 " गणेशनाथ रावत	मान्य सभासद
12 " शोभनाथ आर्य	" "
13 " हाजी मो० सलीम	" "
14 " मिठाईलाल	" "
15 " नजीर अहमद	" "
16 " वीरेन्द्र प्रताप यादव	" "
17 " विद्या सागर सोनकर	" "
18 " कैलाशनाथ मौर्य	" "
19 " नरेन्द्र बहादुर सिंह	" "
20 " शिवकुमार गुप्त	" "
21 " सै० मेंहदी हसन	" "

(सत्यप्रकाश स्वरूप)
अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर

(सीतारामयादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
26-4-93

26.4.93

बोर्ड की बैठक शुरु होने के पूर्व श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने नईबस्ती में पाइप लाइन पेयजलापूर्ति हेतु अब तक न बिछाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया, जिसके लिए पूर्व में अनुरोध किया गया था। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने उक्त कार्य कराये जाने का आश्वासन दिया।

आगे श्री राम अधार यादव, मान्य सभासद ने कहा कि मो० दुखीनाथ में मछली दफ्तर के बगल से जो गली आबादी में जाती है, उस रास्ते के बीच में जो गूलर का पेड़ है, वह आज तक क्यों कटा नहीं? इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अवर अभियन्ता श्री उदयशंकर पाण्डेय ने बताया कि उक्त पेड़ पी० डब्लू० डी० का है, पी० डब्लू० डी० से अनुमति प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा उसे कटवा दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी कृपया बतावें कि जो 13.65 लाख अनुदान आया है उसे उपयोग में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रकरण अगली बैठक में रखा जायेगा। अध्यक्ष महो० ने यह भी कहा कि एक सूचना सदन को दे रहा हूँ कि एक प्रतिनिधि मंडल, सभासदों का, जिलाधिकारी से मिलेगा, जो इस बात को कहेगा कि बोर्ड जो चाहेगा, वही होगा, इस पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मान्य सभासद ने कहा कि हम लोग सदन में जिस कार्य को पारित करेंगे वही कार्य

Scanned with OKEN Scanner

होगा, उसके पश्चात जिलाधिकारी जिस कार्य के लिए कहेंगे
उसे सदन में सर्वसम्मति पारित करने के उपरान्त किया
जाय। आगे श्री विद्यासागर सोनकर, माननीय सभासद ने
कहा कि करनिर्धारण का जो जनरल सर्वे हो रहा है
वह किस तरह हो रहा है, क्या इस प्रकार का कोई शासनादेश
आया है? इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शासन का यह निर्देश
है कि बोर्ड अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने हेतु
लोकहित में पंचवर्षीय कर का पुनर्निर्धारण कर सकती है
जो बोर्ड के विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित हो जाने के
पश्चात कार्यान्वित किये जाने की कार्यवाही चल
रही है जिस क्षेत्र में करनिर्धारण हो रहा है वह मकान
की नवैयत तथा मूल्यांकन के आधार पर हो रहा है।
जो नये मकान बने हैं, उस पर कर बढ़ेगा, तथा जो पुराने मकान
हैं, उस पर नियमानुसार ही कर बढ़ाया जायेगा, जो करनिर्धारण
हो रहा है, उसकी सुनवाई क्षेत्रीय सभासद की मध्यस्थता में
किया जायेगा। आगे श्री विद्यासागर सोनकर, माननीय सभासद ने
पूछा कि जो कर बढ़ता है क्या उसकी जानकारी जनसाधारण
को करा दी गयी है? आखिर उन्हें पता कैसे लगेगा किस
मकान का कितने पर कर निर्धारण किया जा रहा है और
यह भी बतावें कि जिस मकान का मूल्यांकन 360/- के
नीचे है उसका क्या होगा? इस पर अध्यक्ष महोदय
की अनुमति पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जिस
मकान में कोई परिवर्तन/परिवर्धन अब तक नहीं हुआ है उसका
25% करनिर्धारण मूल्य बढ़ेगा, यदि ऐसे मकान हैं जो
कार्यालय में मैनुपुलेट करके उसका करनिर्धारण कर
दिया गया है, उनको अलग से सर्वे कराकर पुनः कर
निर्धारण मूल्य बढ़ाया जायेगा।

आगे श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, सभासद ने कहा
कि जितने पुराने मकान हैं उसमें 25% बढ़ा दें और
जो नये हैं उसका करनिर्धारण नया करा दें।

26-4-93

आगे श्री रमजान खां, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि बीच में जो कार्यवाहियां प्रारम्भ में हुआ था उसे अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया। मेरी राय तो यह है कि पुराने कर्मचारियों को उपयोगितानुसार बढ़ाकर उसे जल्द से जल्द किया जाय। इस पर अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बोर्ड के प्रस्तावानुसार जो कार्यवाहियां हो रही हैं वे जल्द से जल्द पूर्ण कर लिये जायेंगे। साथ ही क्षेत्रीय सभासद की सहमति एवं उनकी ~~सहमति~~ उपस्थिति में कार्यवाहियां का कार्य होगा।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि सब्जी मंडी में तहबाजारी की वसूली जो इस समय बढ़ाकर की जाती है, उसमें आपत्ति है क्योंकि अब प्रति खांची एक रुपया लिया जाता है, जो बहुत अधिक है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यदि नियमानुसार संभव हो तो उसे ~~25~~ 50 पचास पैसे कर दिया जाय।

आगे श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि अधिशासी अधिकारी आप जब से आये हैं तब से मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, हमलोग यहाँ के मान्य सभासद हैं हमलोगों की कोई राय नहीं ली जाती जैसे कि आपने ठाटरी वालों का स्थान रखवाकर मनमानी वसूली किया गया है, अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जो भी कार्यवाही की गयी है वह विभाग से आदेश के अनुसार की गयी है।

आगे श्री कैलाशनाथ मौर्य, मान्य सभासद

ने कहा कि अधिशासी-अधिकारी आप मो० प्रेमालायन्तु गये ता भी वहाँ आपने क्या क्या देखा, अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि वहाँ पर पानी भरा था, उसे देखने गया था कि नई पानी आ रहा है या नहीं, इस पर कैलाश-नाथ मौर्य, मान्य सभासद ने कहा कि मैं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन आप मुझसे नहीं मिले, या तो आप मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा या जानबूझ कर नहीं मिले कि कहीं हो सकता है कि कहीं और समस्याओं को रख देता आप, इस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने आपको देखा ही नहीं था अन्यथा आपसे अवश्य मिलता।

आगे कतिपय सभासदों ने इस बात की शिकायत किया कि श्री शीघ्रायादव, राजस्व प्रभारी ने दुकानों का आवंटन करने में तथा अन्य कार्यों के लिए 50 हजार, किसी से 25 हजार रुपया लिये और काम नहीं कराये, इसमें एक उदाहरण श्री बाबूलाल गुप्त द्वारा किसी व्यक्ति से दिलवाया गया था, जिसे उन्होंने काम न होने पर वापस कराया है।

इस चर्चा को लेकर डा० कृष्णकुमार बौद्ध उपाध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की बात को कार्यवाही रजिस्टर में नोट किया जाय और इसकी जाँच कराई जाय। डा० कृष्णकुमार ने यह भी कहा कि जब कोई सभासद किसी के खिलाफ सीधा आरोप लगा रहा है तो क्या उसके ~~विरुद्ध~~ विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी? अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि जो भी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

श्री कैलाशनाथ मौर्य, मान्य सभासद ने कहा कि एक व्यक्ति पातरीवा में नगर-पालिका की जमीन पर लैट्रिन बाथरूम बनवा लिये हैं, उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से राजस्व प्रभारी ने बताया कि मैं स्वयं

26-4-93

मौके पर गया था, और कार्य रोकवाया था उस व्यक्ति ने रात्रि में बनवा लिया, उनके, इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवा कर मुकदमा कायम किया गया है।

आगे श्री बाबूलाल गुप्त, मान्य सभासद ने कहा जो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं उनके लिए क्या कार्यवाही कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस अतिक्रमण को तत्काल तोड़वा दिया जाय? ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही की जाय। आगे डा० कृष्ण कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि मैं भलीप्रकार जानता हूँ कि जिसमें शर्म नहीं होती, वह कार्य करवाये नहीं रहता।

श्री कैलाशनाथ मौर्य, मान्य सभासद ने कहा कि नगरसिंह पार्क की दुकान के बाजों में दरार पड़ गयी जो किसी भी समय धराशायी हो सकती है, कारण स्पष्ट किया जाय कैसे कार्य कराया गया है? अधिशासी-अधिकारी महोदय ने इस बात का खण्डन करते हुये बताया कि सब्जी मंडी नगरसिंह पार्क की जो दुकान बनवायी गयी है उसमें दंगा कर्फ्यू के समय छत की जो ढलाई हुयी थी, उसकी बल्ली किसी अज्ञात व्यक्ति ने खींच दिया था, जिसके कारण उस छत में दरार पड़ गयी है, जिसे ठीक करा दिया गया है। अधिशासी-अधिकारी ने यह भी दावे के साथ कहा कि दुकानों के निर्माण में उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है, यदि विश्वास न हो तो उसे टेक्निकल लखनऊ को भेज दिया जाय और वहाँ से जो निर्णय होगा उसका पालन किया जायेगा। इस पर कोई भी सभासद सहमत नहीं हुए। अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि सब्जी मंडी वाली दुकान

निर्माण में ठीकेदार को घाटा भी लगा है उन्होंने नुकसान सहते हुए कार्य पूरा किया है।

आगे श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि औरंगाबाद नगर में 1970 के बाद नलकूप लगा, लेकिन उनके सद प्रयोग का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बताया कि मैं एक दिन श्री मोहनलाल के यहाँ पानदरीबा गया था, तो वहां देखा कि पानी अच्छे प्रेशर से मिल रहा था, इतने तल्ले पर पानी चढ़ रहा था, जबकि किसी को जरूरत पड़ी, तुरन्त नलकूप चलवाकर पानी का उपयोग कर लेता है तथा जैसे ही बिजली आती है, नलकूप चलने लगता है लोगों को पानी अच्छे प्रेशर से मिलने लगता है। मेरे विचार से इसी नलकूप से मुल्लाटोला, पुरानी बजार, गरदन अजारी के मुहल्लों में पानी दिया जाय तो कई मुहल्लों में अच्छी प्रकार पेयजल प्राप्त हो सकता है इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जलकल अभियन्ता, से दिलवाकर, आख्या लेकर, व्यवस्था करा दी जायेगी।

कुछ सभासदों ने हिन्दी भवन के बगल तथा रसूलाबाद के नलकूप को चालू होने के सम्बन्ध में पूछा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 15 से 20 मई 93 तक रसूलाबाद वाला नलकूप तथा 5 मई 93 तक तालाबटोला हिन्दी भवन के बगल वाला नलकूप चालू हो जायेगा।

आगे श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद ने कहा कि इंगलिश क्लब वाला नलकूप पहले बोरिंग हुआ है लेकिन उसको मोटर पम्प ना लग रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाय। श्री कैलाशनाथ मौर्य मान्य सभासद ने कहा कि जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है वहाँ कम से कम दो स्टैन्डपोस्ट लगवाया जाय। आगे श्री मिजाज खां, कार्यवाहक उपाध्यक्ष, ने कहा कि तालाबटोला, ख्वाजगीटोला, और 14 मुहल्लों में पानी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर भी पानी

भेजने की व्यवस्था की जाय। इसी बीच अधिशासी अधिकारी महोदय ने सदन को अवगत कराया कि श्री भगत सिंह पार्क में एक नलकूप लगाया जायेगा जो शासन स्तर से स्वीकृत हो चुका है लेकिन इंगलिश [illegible] का नलकूप, जिसके निर्माण का कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, के चालू होने के पश्चात ही भगतसिंह पार्क वाले नलकूप का काम होगा।

प्रस्ताव	निर्णय :-
1 पिछली बैठक दिनांक 31.3.93 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली बैठक दिनांक 31.3.93 की कार्यवाही पढ़ी गयी। कार्यवाही प्रकाशित होने पर पूरक विशेष कार्य सामग्री (एजेण्डा) के प्रस्ताव संख्या एक/2 (अंकित पृष्ठ 244 पर) के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि पालिका हित में कर वसूली को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा किये गये विनियमितीकरण एवं अन्य आवंटन दुकानों का विवरण सदन के समक्ष स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु रखा जाय, इसे छोड़कर अन्य कार्यवाहियों की पुष्टि की गयी।

26.4.93

प्रस्ताव:-	निर्णय:-
2. सि0टी-बोर्ड जौनपुर के वर्ष 1993-94 के आय-व्ययक के माह मार्च 93 का माहवार आय-व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	सर्वसम्मति से स्वीकार।
3. सि0टी0-बोर्ड जौनपुर का वर्ष 1992-93 का वास्तविक आय-व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु -	सर्वसम्मति से स्वीकार।
4. यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 104(1)(बी) के साथ पठित पालिका रेगुलेशन सं0 21 में घोषित प्राविधानों के अनुसार वर्ष 1993 के लिये उपसमितियों के चुनाव का प्रकरण जो 29-12-92 की बैठक में विशेष पूरक प्रस्ताव सं0 4 के अन्तर्गत रखा गया था, के निर्णयानुसार नामांकन की तिथि 1-2-93, नाम वापसी की तिथि 8-2-93 तथा यदि आवश्यक समझा गया तो चुनाव की तिथि 16-2-93 निर्धारित की गयी थी, जिसमें नाम वापसी तथा चुनाव की तिथि पर किसी भी सभासद चुनाव में मत देने हेतु सम्मिलित न होने के कारण उपसमितियों	पढ़ा गया। उपसमितियों के गठन हेतु बतायी गयी स्थिति सर्व-सम्मति से स्वीकार की गयी।

प्रस्ताव :- निर्णय :-

4. का गठन नहीं हो पाया। सम्बन्धी प्रकाश बोर्ड की बैठक दिनांक 31-3-93 के विशेष प्रस्ताव सं० 2 के अन्तर्गत परिषद के निर्णयार्थ रखा गया जिसमें यह तय पाया गया कि एक सूची बना दी गयी है जो यदि सबको मान्य होगी तो उसे ही उपसमिति के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जायेगी, सम्बन्धी प्रकाश, जो निम्नवत है, परिषद अनुमोदन हेतु।

1. शिक्षा समिति :-

1. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
2. " सै० मेंहदी हसन
3. " वीरेन्द्र प्रताप यादव — स्वीकार।
4. " सोमनाथ आर्य
5. " हाजी मो० सलीम
6. " बाबूलाल गुप्त
7. श्रीमती विमला सिंह

2. पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति :-

1. श्री सै० मेंहदी हसन — स्वीकार।
2. " दुबलाल
3. " मिठाईलाल
4. " मुख्तार अहमद
5. " नजीर अहमद
6. " अमरनाथ
7. श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव

26-4-93 252

प्रस्ताव:-	निर्णय:-
3. स्थानीय कार्यकारी	
1. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	स्वीकार
2. " अनसारजा उर्फ भइयाजी	
3. " जियाउल हुसैन	
4. " रमजान खाँ	
5. " हाजी मो० सलीम	
6. " रवीन्द्र प्रताप सिंह	
7. श्रीमती विमला सिंह	
4:- जलनिर्माण समिति:-	
1. श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	स्वीकार
2. " विद्यासागर सोनकर	
3. " नजीर अहमद	
4. " मुख्तार अहमद	
5. " कैलाशनाथ मौर्य	
6. " नरेन्द्रबहादुर सिंह	
7. " शिवकुमार गुप्त	
5- जनस्वास्थ्य समिति:-	
1. श्री शिव कुमार गुप्त	स्वीकार
2. " दयाशंकर	
3. " नजीर अहमद	
4. " सै० मेहदी हसन	
5. " नरेन्द्र बहादुर सिंह	
6. " रवीन्द्र प्रताप सिंह	
7. " राजेन्द्र प्रताप सिंह	

Scanned with OKEN Scanner

26-4-?

प्रस्ताव:-	निर्णय:-
6. विद्या समिति:-	
4. 1. श्री वीरेन्द्र प्रताप कारन	स्वीकार
2 " बाबू लाल गुप्ता	
3 " रमजान खाँ	
4 " अतहर रजा "मझगवाँ"	
5. " राजेन्द्र प्रताप सिंह	
6 " श्रीमती [illegible]	
7 श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	
7. प्रकाश समिति:-	
1. श्री मिठाई लाल	स्वीकार
2 " रामअधार यादव	
3 " गणेश नाथ [illegible]	
4 " विद्यासागर [illegible]	
5 " मिर्जा जियाउल हुसैन	
6 " सुल्तान अहमद	
7 " अमरनाथ	
8. जलकल समिति:-	
1 श्री कैलाश नाथ मौर्य	स्वीकार
2 " बाबू लाल गुप्त	
3 " दयाशंकर	
4 " दूबलाल	
5 " गणेश नाथ [illegible]	
6 " रामअधार यादव	
7 " जियाउल हुसैन	

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
उप समितियों के सभापतियों का चुनाव |	अगली बैठक में रखे जाने पर सहमति पायी गयी |
6. प्रस्ताव बावत सिटी बोर्ड जौनपुर के विभिन्न स्थानों को लाउडस्पीकर से एलान करने का पारिश्रमिक वर्तमान मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए 100/- से बढ़ाकर 130/- करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार |
7. प्रस्ताव श्री मिर्जा जियारत(?) हुसैन, मान्य सभासद कि उर्दू शिक्षा व्यवस्था हेतु नगर-पालिका इन्टर कालेज रजाबाजार(?) व नगर पालिका-बालिका उ0मा0 विद्यालय, रुहट्टा(?) प्रत्येक में एक एक उर्दू शिक्षक की भर्ती की जाय, सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ |	स्वीकार |
8. प्रस्ताव बावत तहबाजारी का पार्किंग (टैक्सी बस स्टैण्ड) की वसूली का रेट जो विज्ञप्ति सं0 1685/23-919 दिनांक 20-12-1939 द्वारा एवं विज्ञप्ति सं0 326/23-361 (45-52) दिनांक 25-10-58 के अनुसार का पार्किंग के प्रस्तावित -	स्वीकार | रेट बोर्ड प्रत्येक पड़ाव पर लगाये जाने का निर्णय लिया गया |

26-4-93

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
8- दरों को स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु :-	

1. मोटर, लारी, बस, ट्रक एवं अन्य भारी शक्ति चालित वाहन

	पुरानी दर प्रतिवाहन रु. पैसे	प्रस्तावित दर प्रतिवाहन रु. पैसे
(क) एक घंटे से कम अवधि के लिए।	1.50 प्रति वाहन	4.00 प्रति वाहन
(ख) एक घंटे से 3 घन्टे तक के लिये।	2.00 " "	6.00 "
(ग) तीन घन्टे से अधिक अवधि के लिये।	2.50 " "	8.00 "

2. मोटर टैक्सी, स्टेशन वैगन, जीप, कार एवं अन्य शक्ति चालित छोटे वाहन

(क) एक घन्टे से कम अवधि के लिए।	0.50 " "	2.00 " "
(ख) एक घन्टे से तीन घन्टे की अवधि के लिये।	1.00 " "	3.00 " "
(ग) तीन घन्टे से अधिक अवधि के लिये।	2.00 " "	5.00 "

9. अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से - कुछ नहीं

(सत्यप्रकाश आनन्द)
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर

(सीता [illegible])
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
26-4-93

लेखक:- 26-4-93
[illegible] लिपिक

प्रस्ताव विशेष कार्य सामग्री। — 26-4-93

~~सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 26-4-93 के लिए पूरक विशेष कार्य सामग्री। (एजेन्डा)~~

1. बाबत श्री सत्यप्रकाश पान्डेय, अधिशासी- अधिकारी, सिटी-बोर्ड जौनपुर के जौनपुर नगर-पालिका में पद भार ग्रहण करने के पश्चात से बोर्ड की स्थिति को सुधारने की दिशा में निम्न सराहनीय कार्य किये हैं, जिनके लिए वर्ष 1992-93 में श्री पान्डेय को एक विशेष प्रविष्टि दिए जाने एवं शासन से संस्तुति किये जाने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदन हेतु :—

सर्व सम्मति से स्वीकार।

उपलब्धि निम्न प्रकार रही :-

1. बोर्ड की शुद्ध आय में बढ़ोत्तरी (अनुदान आदि छोड़कर)

(अ) वर्ष 92-93 की आय— 72,91,898.00
(ब) वर्ष 91-92 की आय- 28,35,728.00
(स) अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी की स्थिति :— 44,56,170-00

2. नेहरू रोजगार योजना की प्रगति :—

~~(अ) लघु उद्यम :-~~

योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
(अ) लघु उद्यम	153	153
(ब) नगरीय आश्रय सुधार		

इस प्रकार उपलब्धि शत प्रतिशत रही।

3. अचल सम्पत्ति हस्तांतरण एवं उगाही नियमावली को लागू कराया जिसके तहत नगर में होने वाले बैनामा रजिस्ट्री आदि के स्टैम्प मूल्य का 2%

26-4-93

प्रस्ताव :-	निर्णय :-

8- दर को स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु :-

	पुरानी दर प्रतिवाहन रु. पैसे	प्रस्तावित दर प्रतिवाहन रु. पैसे
1. मोटर, लारी, बस, ट्रक एवं अन्य भारी शक्ति चालित वाहन		
(क) एक घंटे से कम अवधि के लिए।	1.50 प्रतिवाहन	4.00 प्रति वाहन
(ख) एक घंटे से 3 घन्टे तक के लिये।	2.00 " "	6.00 "
(ग) तीन घन्टे से अधिक अवधि के लिये।	2.50 " "	8.00 "
2. मोटर टैक्सी, स्टेशन वैगन जितीका एवं अन्य शक्ति चालित छोटे वाहन		
(क) एक घन्टे से कम अवधि के लिए।	0.50 " "	2.00 "
(ख) एक घन्टे से तीन घन्टे की अवधि के लिये।	1.00 " "	3.00 "
(ग) तीन घन्टे से अधिक अवधि के लिये।	2.00 " "	5.00 "

9. अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से - कुछ नहीं

(सत्यप्रकाश प्रसाद)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर

(सीता [illegible])
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
26-4-93

लेखक :- 26-4-93
[illegible] [illegible]

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 26-4-93 के लिए एक विशेष कार्य सामग्री। (एजेन्डा)

1. धन्यवाद बाबत श्री सत्यप्रकाश पान्डेय, अधिशासी-अधिकारी, सिटी-बोर्ड जौनपुर ने जौनपुर नगर-पालिका में पदभार ग्रहण करने के पश्चात से बोर्ड की स्थिति को सुधारने की दिशा में निम्न सराहनीय कार्य किये हैं, जिसके लिए वर्ष 1992-93 में श्री पान्डेय को एक विशेष प्रविष्टि दिए जाने हेतु शासन से संस्तुति किये जाने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव बोर्ड अनुमोदन हेतु :—

सर्वसम्मति से स्वीकार।

उपलब्धि निम्न प्रकार रही।—

1. बोर्ड की शुद्ध आय में बढ़ोत्तरी (अनुदान आदि छोड़कर)

(अ) वर्ष 92-93 की आय—	72,91,898-00
(ब) वर्ष 91-92 की आय-	28,35,728.00
(स) अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी की स्थिति :—	44,56,170-00

2. नेहरू रोजगार योजना की प्रगति :—

~~(अ) लघु उद्यम :-~~

योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
(अ) लघु उद्यम.	153	153
(ब) नगरीय आश्रय सुधार		

इस प्रकार उपलब्धि शत प्रतिशत रही।

3. अचल सम्पत्ति हस्तांतरण एवं उगाही नियमावली को लागू कराया जिसके तहत नगर में होने वाले बैनामा रजिस्ट्री आदि के स्टैम्प मूल्य का 2%

पूरक-निर्णय कार्य सामग्री

26.4.93

प्रस्ताव	निर्णय
ध्यान पालिका कोष में जमा के लिए एक अप्रत्याशित अतिरिक्त आय में बढ़ोत्तरी कराई गयी। 4. म्युनिस्पल बाईलाज के अन्तर्गत निर्गत होने वाले लाईसेन्स की दरों में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी कार्यवाही, जिससे पालिका की रेकरिंग आय बढ़ेगी। 5. नगर के विभिन्न स्थलों पर अतिक्रमण हटवाकर उनके स्थान पर दुकानों का निर्माण कराया जिससे बोर्ड की स्थायी रेकरिंग आय में बढ़ोत्तरी हुयी है। 6. इनके विशिष्ट कार्यों के सम्मान में, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ की उपस्थिति में दिनांक 5-4-93 को अभिनन्दन पत्र दिया गया जिसकी जन जन द्वारा सराहना की गयी।	
2. प्रस्ताव बाबत श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, अधिशासी-अधिकारी, सिटी-बोर्ड जौनपुर के उत्तर-प्रदेश अधिशासी-अधिकारी एसोसियेशन संघ के कार्यकारी	पढ़ा गया। सदन में प्रसन्नता व्यक्त करते हुये श्री पाण्डेय को कार्यकारी अध्यक्ष

पूरक विशेष कार्य सामग्री 26-5-93

प्रस्ताव ।-	निर्णय ।-
अध्यक्ष चुने जाने सम्बन्धी सूचना परिषद के समक्ष सूचनार्थ।	चुने जाने के लिए धन्यवाद प्रकाशित किया गया।
पन्नाई बाबत टैक्सी बस स्टैण्ड/पड़ाव का वर्ष 1993-94 का ठेका जो नीलामी द्वारा कराई गयी थी, जिसको अनुमोदन बोर्ड की बैठक दिनांक 31-3-93 के पूरक विशेष प्रस्ताव सं. 2 के अन्तर्गत लिया गया है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जौनपुर के पत्र सं० 315/93 एल०बी०सी० दिनांक 21-5-93 कि वाराणसी रोड का ठेका जो श्री अशोकानन्द मिश्र पुत्र श्री राम शिरोमणि मिश्र, नेवादा जौनपुर को रुपया 41,153-00 (एकतालिस हजार एक सौ तिरपन) में दिया गया था, के चरित्र प्रमाण पत्र सम्बन्धी की गयी शिकायत पर जिलाधिकारी जौनपुर ने यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है, सम्बन्धी प्रकरण बोर्ड के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत है कि उक्त ठेका स्वीकृत किया जाय या अस्वीकृत कर दिया जाय, परिषद निर्णयार्थ।	प्रस्ताव पर सदन में विचार विमर्श के पश्चात यह सहमति पायी गयी कि जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय से प्राप्त चारित्रिक प्रमाणपत्र के ही आधार पर जब ठेका पूर्व में श्री अशोकानन्द मिश्र को 41,153.00 को दिया गया था, तो उसे निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। बोर्ड के पूरक विशेष प्रस्ताव 2 के अन्तर्गत पारित विनिश्चय प्रस्तावों का ठेका पूर्ववत पारित समझा जाय।

पूरक विशेष कार्य सामग्री

26-5-93

प्रस्ताव	निर्णय
4. पत्रादि बाबत बोर्ड की गत बैठक दिनांक 31.3.93 में चर्चाकाल के दौरान डा0 सुनील श्रीवास्तव, माननीय सभासद द्वारा की गयी पृच्छायें कि तत्कालीन अध्यक्ष डा0 कृष्णकुमार के अधिकार एवं दायित्व क्या होंगे, सम्बन्धी प्रकरण जिस पर बोर्ड की बैठक दिनांक 25-2-89 की कार्यवाही सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रस्ताव सं0 11 के तहत सिटी-बोर्ड जौनपुर के दैनिक कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष को विशेष शक्तियों के प्रति विधायन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के उपरान्त पारित प्रस्ताव में केवल 'अध्यक्ष' शब्द आया था, के अनुसार वही अधिकार डा0 कृष्णकुमार में निहित होंगे, को परिषद के निर्णयानुसार सदन के समक्ष सूचनार्थ।	पढ़ा गया। सर्व सम्मति से स्वीकार।
5. पत्रादि बाबत सिटी-बोर्ड सफाई विभाग के लिए चूना (कलकत्ता) की आपूर्ति करने हेतु मांगे गये कोटेशन जो 15-5-93 को सक्षम अधिकारी के समक्ष खोले गये में मेसर्स बुद्धराम छेदीलाल स्टेशन रोड, जौनपुर तथा मेसर्स	~~चर्चा~~ चर्चा चली और पुनः कोटेशन लिया जाना पारित किया गया।

पूरक विशेष कार्य सामग्री 26-5-93

प्रस्ताव :-	निर्णय
ज्ञापन बाबत लाईम मन्ड्रेड जौनपुर का कोटेशन 80/- 90/- रुपये प्रति क्विन्टल का प्राप्त हुआ है उक्त प्रकार दो फर्मों का कोटेशन दर बराबर है, ऐसी दशा में दोनों फर्मों से पुनः कोटेशन माँगे जाय अथवा दोनों में से किसी एक फर्म को न्यूनतम दर स्वीकार किया जाय, परिषद निर्णयार्थ|	
6. प्रस्ताव बाबत उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जिला इकाई जौनपुर कि जौनपुर नगर में पत्रकारों को एक जगह बैठक की सुविधा के लिए 'पत्रकार भवन' बनवाने हेतु उन्हें स्थान दिया जाय के क्रम में चूँकि यह जनहित सेवी संस्था है, के प्रकाश में नीलामी सम्बन्धी शर्त में शिथिलता बरतते हुये वर्तमान बाजार भाव से मछली मार्केट जोगियापुर के समक्ष दुकानों के प्रथम तल पर 'पत्रकार भवन' हेतु स्थान दिया जाय, जिसके लिए शासन से भी स्वीकृति ली जायगी सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु|	कचेहरी रोड स्थित मछली बाजार के समक्ष स्थित दुकान के ऊपरी तल पर "पत्रकार भवन" हेतु स्थान दिया जाता इस शर्त के साथ पारित कि नीलामी की शर्तों में शासन से छूट मिलने पर बाजार रेट पर उक्त स्थान दिया जाय|

पूरक विशेष कार्य सामग्री

26-4-13

प्रस्ताव	निर्णय
7. प्रस्ताव श्री कैलाशनाथ मौर्य, मान्य सभासद किला समर्थन श्री गणेशनाथ रावत मान्य सभासद ने किया कि कोतवाली चौराहे से पानदरीबा जाने वाली सड़क जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण दशा में है, जिस पर आवागमन में बड़ी असुविधा होती है, जनहित में इस मार्ग का पुनः निर्माण विशेष सड़क अनुदान से कराया जाए एवं व्यय अनुमान तैयार स्वीकृति हेतु भेजा जाए, सम्बन्धी प्रस्ताव पारित अनुमोदन हेतु।	इस प्रकरण पर श्री विद्यासागर सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि यह प्रस्ताव को निर्माण समिति के समक्ष रखा जाए, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी।
8. प्रस्ताव श्री कैलाश नाथ मौर्य मान्य सभासद, किला समर्थन डा० श्री कृष्णकुमार वार्ष्णेय उपाध्यक्ष ने किया कि सिटी-कार्ड योजना में नामांकन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण, क्षेत्रीय सभासदों की संस्तुति होने के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाए, सम्बन्धी प्रस्ताव, पारित अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। यह निर्णय लिया गया कि नामांकन हेतु क्षेत्रीय सभासद की संस्तुति पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाए।

चर्चाकाल :-

चर्चाकाल के दौरान अधिशासी-अधिकारी ने सदन को बताया कि रेलवे परिसर में निर्मित भवनों पर सर्विस चार्ज के रूप में 1952 के भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 1,22,000/-प्रति वर्ष पालिका को देय है, इस प्रकार लगभग 50.00 लाख रुपये का दावा विवरण बनाकर शासन को भेजा गया है, इस पर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को सदन में प्रस्ताव के रूप में लाया जाय।

डा० कृष्णकुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि जो भी नामान्तरण प्रकरण हों उन पर क्षेत्रीय सभासद की संस्तुति होनी चाहिये और प्रकरण मय सभासद की जानकारी में लाया जाना चाहिये इस पर यह तय पाया गया कि बैनामा रजिस्ट्री के अतिरिक्त जो भी नामान्तरण प्रकरण हों, उन पर क्षेत्रीय सभासद की राय ले ली जाय। अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि नोटिस ~~देकर~~ देते समय उसकी एक प्रति क्षेत्रीय सभासद को भी दे दी जायेगी।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
26-4-93

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
26-4-93

लेखक:- महेश यादव
परिषद लिपिक
सिटी-बोर्ड
जौनपुर